रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018

का.आ.44(अ).— भारत सरकार एतद्वारा 10 जनवरी, 2018 से अगले नोटिस तक 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018 का निर्गम अधिसूचित करती है। बांडों के निर्गम के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

2. निवेश के लिए पात्रता: बांड निम्नलिखित द्वारा धारित किए जा सकते हैं

(i) कोई भी व्यक्ति, जो अनिवासी भारतीय न हो-

(क) व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(ख) संयुक्त आधार पर व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(ग) कोई एक अथवा उत्तरजीवी आधार पर, व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(घ) पिता/माता/विधिक अभिभावक के रूप में अवयस्क की ओर से

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार

3. निवेश की सीमा:

इन बांडों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

4. कर उपाय:

(i) इन बांडों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देय होगा जैसाकि बांडधारक की संबंधित कर प्रास्थिति के अनुसार प्रयोज्य हो ।

(ii) ये बांड संपदा कर अधिनियम, 1957 के तहत संपदा कर से छूट प्राप्त होंगे।

5. निर्गम मूल्य:

(i) ये बांड सममूल्य अर्थात् 100 रुपए पर निर्गमित किए जाएंगे।

(ii) ये बांड 1,000 रुपए (अंकित मूल्य) की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में निर्गमित किए जाएंगे। तदनुसार, प्रत्येक 1,000 रुपए (अंकित मूल्य) के लिए निर्गम मूल्य 1,000 रुपए होगा।

6. अभिदान:

(i) इन बांडों के लिए अभिदान नकद/ड्राफ्ट/चैक अथवा प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा।

(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट बैंक (प्राप्तकर्ता कार्यालय) जो नीचे पैराग्राफ 10 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के पक्ष में आहरित किया जाएगा और उस स्थान पर देय होगा जहां आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

7. निर्गम की तारीख:

ये बांड डीमैट रूप में निवेशक/निवेशकों के बांड बही खाता में नकद जमा करने की तारीख या ड्राफ्ट/चैक के नकदीकरण होने की तारीख को जमा किए जाएंगे।

8. प्रपत्र:

(i) ये बांड केवल डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता बैंकों में खोले गए खाते जो बांड बही खाता कहा जाता है, में धारक के नामे रखे जाएंगे।

(ii) निवेशक के बांड बही खाते के नामे जारी किए गए बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत उन बैंकों और एसएचसीआईएल के किसी भी शाखा में धारित किए जाएंगे जो नीचे पैराग्राफ 10 में विनिर्दिष्ट की गई है।

(iii) फार्म अनुबंध-1 में यथाविनिर्दिष्ट धारक प्रमाणपत्र बांड बही खाते में धारित बांडों के धारक/धारकों को जारी किया जाएगा (फार्म टीबीएक्स अथवा फार्म टीबीवाई, जैसा भी प्रयोज्य हो)

9. आवेदन

(i) इन बांडों के लिए आवेदन या तो वास्तविक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध-2 के रूप में संलग्न फार्म-क में अथवा उसके समान किसी अन्य फार्म में किया जा सकता है जिसमें राशि और आवेदक का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

(ii) आवेदन के साथ नकद/ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आवश्यक भुगतान किया जाना चाहिए जैसाकि ऊपर पैरा 6 में दर्शाया गया है।

(iii) ऐसे आवेदक जिन्होंने आय कर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत आय कर में छूट प्राप्त कर ली है, वे आवेदन में इसकी घोषणा (प्रपत्र क में) करेंगे और आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

10. प्राप्तकर्ता कार्यालय

बांडों के लिए आवेदन निम्नलिखित में प्राप्त किए जाएंगे।

(क) भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाओं, निजी क्षेत्र के तीन बैंकों और अनुबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट एससीएचआईएल।

(ख) किसी अन्य बैंक की शाखाओं और जैसाकि कि इसकी ओर से समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्निष्ट किया गया है।

11. नामांकन

(i) इन बांडों का एकल धारक या सभी संयुक्त धारक व्यष्टि/व्यष्टियां होने के नाते इस अधिसूचना (अनुबंध-4) में संलग्न या इसी तरह के प्रपत्र में जैसा भी मामला हो, एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जो एकल धारक/सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु हो जाने पर जैसा भी मामला हो, बांडों और उसके भुगतान के हकदार होंगे, परंतु व्यक्ति या नामांकित प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बांड धारण करने के लिए सक्षम होंगे।

(ii) जहां नामांकन दो या अधिक नामांकितों का किया गया है और ऐसे भुगतान के देय होने के पहले उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तब बांड की हकदारी जीवित नामांकित या नामांकिता की होगी और उस पर देय राशि का भुगतान तदनुसार किया जाएगा।

(iii) नामांकित या नामांकितों की धारक के पहले मृत्यु हो जाने पर धारक नया नामांकन कर सकता है।

(iv) निवेशक प्रत्येक निवेश के लिए अलग नामांकन कर सकता है।

(v) नाबालिग के नाम पर निर्गमित बांडों के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।

(vi) बांड धारक द्वारा किया गया नामांकन **प्रपत्र ख** में नए नामांकन द्वारा बदला जा सकता है या अधिसूचना (अनुबंध-5) में संलग्न **प्रपत्र ग** में प्राप्तकर्ता कार्यालय को लिखित सूचना देकर निरस्त किए जा सकते हैं।

(vii) प्रत्येक नामांकन और प्रत्येक निरस्तीकरण का पंजीकरण प्राप्तकर्ता कार्यालय में किया जाएगा जहां बांड निर्गमित किया जाता है और यह ऐसे पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(viii) यदि नामांकित नाबालिग है तो बांड धारक नामांकित के नाबालिग रहने की अवधि के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने पर बांड/देय राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता/सकती है।

12. हस्तांतरणीयता:

निवेशक के बांड बही खाता के क्रेडिट में धारित बांड हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

13. ब्याज

(i) निवेशक की निलामी पर बांड संचयी या गैर-संचयी रूप में निर्गमित किए जाएंगे अथवा और इन पर प्रति वर्ष 7.75% की दर से ब्याज लगेगा।

(ii) गैर-संचयी बांडों पर ब्याज ऊपर पैरा 7 के संदर्भ में निर्गम की तारीख से अर्ध-वार्षिक अंतराल पर भुगतान योग्य होगा और संचयी बांडों पर ब्याज बाकी अर्ध-वार्षिक के साथ चक्रवृद्धि के रूप में परिपक्वता पर मूलधन के साथ भुगतान योग्य होगा।

(iii) बाद के मामले में, बांड का परिपक्वता मूल्य प्रत्येक ₹1,000 (अंकित) के लिए ₹1,703.00 (मूलधन और ब्याज) होगा।

(iv) गैर-संचयी बांडों का विकल्प चुनने वाले धारकों के लिए ब्याज ऊपर पैरा 7 के संदर्भ में निर्गम की तारीख से 31 जुलाई/31 जनवरी तक जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा और उसके बाद 31 जुलाई और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक 1 अगस्त और 1 फरवरी को भुगतान किया जाएगा।

(v) "बांड बही खाता" के क्रेडिट में धारित बांडों पर ब्याज का भुगतान निवेशक/ धारक द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार धारक के बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में किया जाएगा।

14. स्रोत पर कर कटौती

(i) समय-समय पर गैर-संचयी बांडों पर ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और इसे सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

(ii) परिपक्वता मूल्य के ब्याज अंश पर कर की स्रोत पर कटौती संचयी बांडों पर परिपक्वता लाभ के भुगतान के समय की जाएगी और सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

परंतु यह कि उन व्यष्टि/व्यष्टियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रपत्र में घोषणा की है कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत कर से छूट प्राप्त कर ली है और आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि जमा की है, ब्याज/परिपक्वता लाभ का भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की जाएगी।

15. बांड के एवज में अग्रिम/व्यापार योग्यता

बांड गौण बाजार में व्यापार योग्य नहीं होगा और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) आदि से अतिरिक्त ऋण के रूप में पात्र नहीं होगा।

16. अदायगी

(i) बांड जारी होने की तारीख से 7 (सात) वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रतिदेय होगा।

(ii) बांडों के परिपक्व होने से पूर्व 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिगत निवेशकों को नकदीकरण की अनुमति होगी बशर्ते कि वे नीचे दर्शाए गए अनुसार बांड जारी होने की तारीख से न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद निर्गमकर्ता बैंकों की संतुष्टि के लिए आयु के समर्थन में निवेशक की जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

(क) 60 से 70 वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 6 वर्ष होगी।

(ख) 70 से 80 वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 5 वर्ष होगी।

(ग) 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 4 वर्ष होगी।

(iii) यदि संयुक्त बांड धारक हों या दो से अधिक बांड धारक हों तो उपर्युक्त पात्रता की शर्त को यदि कोई एक धारक भी पूरा करता है तो उपर्युक्त लॉक-इन अवधि प्रयोज्य होगी।

(iv) बांड जारी होने की तारीख से उपर्युक्त न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद, पात्र निवेशक 12वीं, 10वीं और 8वीं अर्द्धवार्षिक के तदनुरूपी संबंधित निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद बांड अभ्यर्पित कर सकता है, परन्तु प्रतिदान का भुगतान आगामी ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख को किया जाएगा। इस प्रकार, पात्र निवेशकों के परिवक्वता नकदीकरण की प्रभावी तारीख प्रत्येक वर्ष की 1 अगस्त और 1 फरवरी है। परन्तु, ऐसे मामलों में संचयी और गैर-संचयी दोनों बांडों के संबंध में धारण अवधि के पिछले छ: माह के बकाए और देय ब्याज का 50% वसूल किया जाएगा।

17. दलाली:

पैराग्राफ 10 में सूचीबद्ध प्राप्तकर्ता कार्यालय के साथ पंजीकृत दलालों और उनके ग्राहकों की ओर से उन्हें दिए गए आवेदनों, जिन पर उनका मोहर लगा हो, पर प्रति ₹ 100 पर ₹1.00 की दलाली दी जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,

[फा.सं. 4(28)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2017]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

अनुबंध I

फार्म 'टीबीएक्स'

(गैर-संचयी)

भारत सरकार

धारण प्रमाणपत्र

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

<u>बांड बही खाता संख्या</u>

[पैरा 8देखें]

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.-- नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार - ------------ (बैंक शाखा का नाम) में बांड बही खाता संख्या ---में धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2017 के धारक हैं। इन बांडों पर छमाही आधार पर देय 7.75% प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

इसे दिनांक 03 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम
शाखा कोड संख्या
कार्यालय का मुहर

1. (नाम-----------------------) 2. (नाम-----------------------)

पदनाम पदनाम

क्रम सं. -------- पर नामांकन पंजीकृत प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/ उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे

क्रम सं.	निवेश		अंतरण		वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर सहित आद्यक्षर
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध- I

फार्म 'टीबीवाई'

(संचयी)

भारत सरकार

धारण प्रमाणपत्र(संचयी)

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

बांड बही खाता संख्या

[पैरा8 देखें]

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.-- नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ------------- (बैंक शाखा का नाम) में बांड बही खाता संख्या -- में धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 के धारक हैं।

इसे दिनांक 03 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है।

बांडों का परिपक्वता मूल्य प्रति रुपए 1,000 के लिए रुपए 1,703 (मूल राशि और ब्याज की राशि) होगा (नॉमिनल)।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

शाखा कोड संख्या

कार्यालय का मुहर

1. (नाम------------------------) 2. (नाम-----------------------)

पदनाम पदनाम

क्रम सं. -------- पर नामांकन पंजीकृत प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/

उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे

क्रम सं.	निवेश		अंतरण		वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर सहित आद्यक्षर
	दिनांक	राशि (नॉमिनल)	दिनांक	राशि (नॉमिनल)		दिनांक	राशि (नॉमिनल)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध **- 2**

(फार्म क)

[पैरा 9 देखें]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के लिए आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र भरने से पहले हिदायतें ध्यानसे पढ़ लें)

(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें और उचित बॉक्स में सही (•)का निशान लगाएं)

मैं/हम 7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के अभिदान के रूप में अभिदान की राशि रु. ____________________(रुपए ____________________________________)प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

भुगतान किया नकदी [ ] चैक [ ] [ ] मांग ड्राफ्ट.

[ ] इलेक्ट्रॉनिक मोड_________

दिनांक ___________

जिस पर आहरति ____________________________ (बैंक/शाखा)

मैं/हम व्यक्ति के रूप में [ ] अवयस्क की ओर से [ ] * हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में आवेदन करता हूं/करते हैं।

दलाल का नाम :

कोड सं. :

पता :

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

दलाली की राशि का .

आवेदन पत्र सं. [| |] [| | | | |]

दिनांक [| | | | |]

अदाकर्ता बैंक के नामे की तारीख: [| | | | |]

संपर्क कक्ष को [| | | | |]

अवयस्क से रिश्ता-पिता [ ] माता

[ ] कानूनीअभिरक्षक[ ]

धारण की पद्धति:-

[ ] एकल

[ ] संयुक्त

[ ] कोई एक या उत्तरजीवी

स्थिति [ ] निवासी

[ ] अवयस्क

* घोषणा प्रपत्र भरा जाए तथा प्रस्तुत किया जाए, यदि लागू हो।

अंतरण की तारीख

विशेष चालू खाते में जमा की तारीख ☐☐☐☐☐☐

सरकारी खाते में जमा की तारीख ☐☐☐☐☐☐

बांड बही खाता संख्या

☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

शाखा प्रबंधक

प्राप्तकर्ता कार्यालय की रबड़ की मुहर पूरे पते सहित

* घोषणा प्रपत्र भरा जाए तथा प्रस्तुत किया जाए, यदि लागू हो।

मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें नीचे उल्लिखित रूप में बांड जारी किए जाएं:

[ ] मेरे/हमारे नाम पर बांड बही खाता खेला जाए।

[ ] मेरे/हमारे बांड बही खाता संख्या .... में जमा करें।

मैं/हम ब्याज --------------------@ परिपक्वता/संचयी [ ] @

अर्धवार्षिक-असंचयी [ ]@आहरित करना चाहता हूं/चाहते हैं।

बैंक खाते में ब्याज जमा करने की स्थिति में

बैंक शाखा का नाम_______________

बचत/चालू खाता संख्या.__________

(प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़कर स्पष्ट अक्षरों में लिखें)

पहले आवेदक/हिं.अ.प./अवयस्क का पूरा नाम लिंग:पु0 [ ] स्त्री [ ]

पिता/माता/कानूनी अभिरक्षक (अवयस्क के लिए) हिं.अ.प. के कर्ता/मुख्तारनामा धारक का पूरा नाम

जन्म तिथि (अवयस्क के मामले में)

दिन माह वर्ष
(अवयस्क के मामले में)

भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले से पंजीकृत मुख्तार नामे / हि.अ.प. के मामले में पंजीकरण संख्या

पहले आवेदक (नाम फिर से न लिखें) का पता

राज्य पिनकोड

दूसरे आवेदक का पूरा नाम और पता

तीसरे आवेदक का पूरा नाम और पता

स्थायी खाता संख्या
पहला आवेदक
दूसरा आवेदक
तीसरा आवेदक

…………………………………………………………………
पहले आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

+हस्ताक्षर

गवाह का नाम और पता

…………………………………………………………… 1)…………………………………………

दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

………………………………………………………… 2) ……………………………………..

तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टिप्पणी: @ बांड बही खाते के रूप में बांडों पर ब्याज धारक के बैंक खाते में जमा करके अथवा चैक/वारंट द्वारा दिया जाएगा।.

\+ अंगूठे का निशान लगाए जाने पर

हिंदू अविभक्त परिवार घोषणा फार्म
अनुबंध-2 प्रपत्र क (पैरा 9 देखें)
(केवल तभी जब आवेदक हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हो)

मैं,लिंग: पु. [ ] स्त्री. [ ]

पहले आवेदक के सामने दिए गए पते पर रहता हूं और पूरी निष्ठा से यह पुष्टि करता हूं कि मैं हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हूं, जिसकी संरचना इस प्रकार है

(हिंदू अविभक्त परिवार का नाम व पता)

और इस प्रकार मुझे उक्त हिंदू अविभक्त परिवार के नाम पर धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 में निवेश करने, अंतरण करने अथवा अन्यथा लेन-देन करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

हिंदू अविभक्त परिवार (हिंदू अविभक्त परिवार का नाम)
के लिए और की ओर से नमूना हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख: कर्ता के हस्ताक्षर

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 के लिए अनुदेश और दिशानिर्देश

1. बांड में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
2. अभिदान के लिए दिए गए चैक आवेदन प्राप्त करने वाले बैंक/प्राप्ति कार्यालय के पक्ष में आहरित तथा उस स्थान पर देय होने चाहिए जहां कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
3. यदि आवेदन कानूनी अभिभावक द्वारा नाबालिग (अवयस्क) की ओर से किया जाता है तो सक्षम न्यायालय संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890 का अधिनियम) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. यदि नाबालिग आवेदक हो, तो म्युनिसिपल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, चर्च, जन्म के पंजीयक या जिलाधीश, ग्राम पंचायत के प्रमुख या स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा नाबालिग का नाम और जन्मतिथि घोषित करते हुए जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए (एक जेरॉक्स प्रतिसहित)।
5. आवेदन पत्र पर आवेदक/को के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होने चाहिए। अंगूठे निशान के लिए 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साक्ष्य दी जानी चाहिए।
6. यदि आवेदन पत्र पर निवेशक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तो आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने संबंध मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए। मुख्तार नामें में बांड के अधीन देय ब्याज और मूलधन प्राप्त करने और/या बांड के बेचने या अंतरण का स्पष्ट प्रावधान शामिल होना चाहिए। मुख्तारनामा शर्तरहित भी होना चाहिए। यदि मुख्तारनामा विदेश में निष्पादित किया गया हो तो वह उस स्थान के नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए जहां इसे निष्पादित किया गया है और भारतमें नए सिरे से नोटरीकृत (विधिवत मुहर लगाते हुए) होना चाहिए।
7. इन कर योग्य बांडों के लिए आवेदन करने वाले हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता को उससे संलग्न फार्म में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।
8. बांड बही खाते के रूप में बांड बांडों के मामले में एकल धारक (नाबालिग से भिन्न) द्वारा फार्म"ख"या उससे मिलते-जुलते फार्म में नामांकन किया जा सकता है । किया गया नामांकन यथास्थिति, फार्म "ख" या "ग" में जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत प्राप्ति कार्यालय की शाखा को सूचित करके परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। किया गया प्रत्येक नामांकन या उसमें किया गया परिवर्तन प्राधिकृत प्राप्ति कार्यालय की शाखा में पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकरण की तारीख से लागू होगा।
9. आवेदनपत्र दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों के मामले में किए जाने पर बांड/डों पर ब्याज वारंटऔर भुगतानआदेश/शों को प्रथम आवेदक के नाम जारीकिया जाएगा।
10. बांड बही खाते के रूप में बांड के मामले में, इसे नकद अभिदान प्राप्त होने कीतारीख अथवा ड्राफ्ट और चैक की वसूली की तारीख से खोला जाएगा।
11. 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2017 के अंतर्गत उपलब्ध कर व्यवहार निम्न प्रकार हैं:

    (i) संपत्ति कर –ये बांड संपत्ति कर अधिनियम, 1957के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट प्रापत हैं।

    (ii) आयकर-गैर-संचयी बांडों पर ब्याज का भुगतान करतेसमय कर की स्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इसे सरकारी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। संचयी बांडों पर परिपक्वता प्राप्तियों के भुगतान के समय परिपक्वता मूल्य पर ब्याज भाग पर कर की स्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इसे सरकारी खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
12. बांड जारी होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के बाद वापसी-अदायगी के योग्य है।
13. बांड बही खाते के रूप में बांडों के आवेदन पत्र सरकारी अधिसूचना के अनुबंध-3 में विनिर्दिष्ट भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, सहयोगी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों, चार निजी क्षेत्र के बैंकों तथा एसएचसीआईएल में प्राप्त किए जाएंगे।
14. लोक भविष्य निधि तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों को तथा पैरा 10(ख) तथा (ग) में सूचीबद्ध दलालों को उनके ग्राहकों द्वारा दिए गए तथा उनकी मुहर लगे आवेदन पत्रों को देने पर भी प्रति 100 रुपए पर 1.00 रुपए (एक रुपया केवल) की दर पर दलाली का भुगतान किया जाएगा।
15. बांडों का द्वितीयक बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा तथा ये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आदि से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे।

अनुबंध 3

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 कार्य की हैंडलिंग करने वाले प्राप्तकर्ता कार्यालयों की सूची

प्राप्तकर्ता कार्यालयों के नाम	
क्र.सं.	**बैंक का नाम**
1.	भारतीय स्टेट बैंक
2.	इलाहाबाद बैंक
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा
4.	बैंक ऑफ इंडिया
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6.	केनरा बैंक
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8.	देना बैंक
9.	इंडियन बैंक
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक
11.	पंजाब नेशनल बैंक
12.	सिंडिकेट बैंक
13.	यूको बैंक
14.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
16.	कारपोरेशन बैंक
17.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
18.	विजया बैंक
19.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
20.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
21.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
22.	एक्सिसबैंक लिमिटेड
23.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुबंध **- 4**

(फार्म ख)

[पैरा 11 देखे(i)]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

नामांकन फार्म

मैं,

(नाम और पता)

बांड बही खाता संख्या का धारक: @

निम्नलिखित व्यक्ति/यों को नामांकित करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु होने पर बांड के अधिकार मिलेंगे/जो नीचे उल्लिखित अनुसार बांड पर फिलहाल देय राशि का भुगतान प्राप्त करेंगे:

			नामिति का ब्यौरा			
निर्गम की तारीख	राशि रुपए	चुकौती की तारीख	नामिती का आद्यक्षरों का विस्तार देकर पूरा नाम और पता	जन्म-तिथि	धारक से संबंध	बैंक खाते का विवरण

$ …………के रूप में उपर्युक्त एक मात्र नामिती आज की तारीख में अवयस्क है, मैं उक्त नामिती $$ ………………………अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त बांड पर फिलहाल देय राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ………………………..को करता/करती हूं।

\+ यह नामांकन मेरे द्वारा दिनांक …………………को किए गए और …………………में आपकी बहियों में पंजीकृत किए गए नामांकन के स्थान पर है, जो इस नामांकन का पंजीकरण होने पर रद्द हो जाएगा।

@ खाता खोलने वाले बैंक द्वारा भरा जाए।

____

(धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

स्थान:

तारीख:

गवाह के नाम और पता सहित हस्ताक्षर:

1.

____

2.

____

स्थान:

तारीख:

$ यदि नामिती अवयस्क हो, तो भरा जाए

$$ नामिती (अवयस्क) का नाम

\+ यदि नामांकन पहले से किए गए नामांकन के स्थान पर न हो, तो पैरा काट दिए जाएं।

अनुबंध–5

(फार्म ग)

[देखे पैरा 11(vi)]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

नामांकन निरस्त करने की सूचना

मैं____ (नाम और पता) निम्नलिखित बांड बही खाते के संबंध में, मेरे द्वारा किए गए दिनांक......................का नामांकन, जो प्राधिकृत बैंक/प्राप्ति कार्यालय की शाखा द्वारा दिनांक ....को पंजीकृत किया गया, निरस्त करता/करती हूं।

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के विवरण

जारी करने की तारीख	बही खाता संख्या	निम्न के पक्ष में नामांकन के लिए राशि रुपए

स्थान:

तारीख:

धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

गवाओं के हस्ताक्षर और पते:

1) ____

____

2) ____

____

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2018

7.75% Savings (Taxable) Bonds 2018

S.O.44(E).— The Government of India, hereby notifies the issue of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 ("the Bonds") from January 10, 2018 until further notice. The terms and condition of the issue of the Bonds, shall be as follows:

2. **Eligibility for Investment**: The Bonds may be held by –

(i) an individual, not being a Non-Resident Indian-
  (a) in his or her individual capacity, or
  (b) in individual capacity on joint basis, or
  (c) in individual capacity on any one or survivor basis, or
  (d) on behalf of a minor as father/mother/legal guardian.
(ii) a Hindu Undivided Family.

3. **Limit of Investment**:

There will be no maximum limit for investment in the Bonds.

4. **Tax Treatment**:

(i) Interest on the Bonds will be taxable under the Income Tax Act, 1961 as applicable according to the relevant tax status of the Bond holders.
(ii) The Bonds will be exempt from wealth-tax under the Wealth Tax Act, 1957.

5. **Issue Price:**

(i) The Bond will be issued at par i.e. at ₹ 100.00.
(ii) The Bonds will be issued for a minimum amount of ₹ 1,000 (face value) and in multiples thereof. Accordingly, the issue price will be ₹ 1,000 for every ₹1,000 (Nominal) face value.

6. **Subscription**

(i) Subscription to the Bonds will be in the form of Cash/ Drafts/ Cheques or any electronic mode acceptable to the receiving office.
(ii) Cheques or drafts should be drawn in favour of the bank (Receiving Office), specified in paragraph 10 below and payable at the place where the applications are tendered.

7. **Date of Issue**

The Bonds will be issued, in demat form and credited to the Bond Ledger Account (**BLA**) of the investor/s on the date of tender of cash or the date of realization of draft/ cheque.

8. **Form**
(i) The Bonds will be issued only in the demat form and held at the credit of the holder in an account called Bonds Ledger Account (**BLA**), opened with the receiving bank.
(ii) The Bonds issued to the credit of BLA of an investors will be held by any number of branches of the banks and SHCIL, as authorised by Reserve Bank of India, as specified in paragraph 10 below.
(iii) A Certificate of Holding as specified in form **Annexure 1** will be issued to the holder/s of Bonds held to the credit in BLA (in Form **TBX** or Form **TBY** as applicable).

9. Application:
(i) Applications for the Bonds, either in physical form or electronic form, may be made in **Form A** attached hereto as **Annexure 2** or in any other form as near as thereto stating clearly the amount, name and full address of the applicant/s.
(ii) Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash/ drafts/ cheques / electronic credit as indicated in paragraph 6 above.
(iii) Applicants who have obtained exemption from Income Tax under the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961, shall make a declaration to that effect in the application (in Form A) and submit a true copy of the certificate obtained from Income Tax Authorities.

10. Receiving Offices

Applications for the Bonds will be received at:
(a) Any number of branches of State Bank of India, Nationalised Banks, three private sector banks and SCHIL, as specified in the **Annexure 3**.
(b) Branches of any other bank as specified by the Reserve Bank of India in this behalf from time to time.

11. Nomination:

(i) A sole holder or all the joint holders (investors) of a Bond, being individual/s, may nominate in **Form B** annexed to this notification (**Annexure 4**) or as near thereto as may be, one or more persons who in the event of death of the sole holder/all the joint holders, as the case may be, would be entitled to the Bonds and to the payment due thereon, provided that the person or each of the persons nominated is himself/herself is competent to hold the Bond.
(ii) Where the nomination has been made in favour of two or more nominees and either or any of them dies before such payment becomes due, the title to the Bonds shall vest in the surviving nominee or nominees and the amount being due thereon shall be paid accordingly.
(iii) In the event of the nominee or nominees predeceasing the holder, the holder may make a fresh nomination.
(iv) The investor(s) can make separate nomination for each investment.
(v) No nomination shall be made in respect of the Bonds issued in the name of a minor.
(vi) A nomination made by a holder of a Bond can be changed by a fresh nomination in **Form B,** or as near there to as may be, or may be cancelled by giving notice in writing to the Receiving Office in **Form C,** annexed to the notification (**Annexure 5**).
(vii) Every nomination and every cancellation or variation shall be registered at the Receiving Office where the Bond is issued and shall be effective from the date of such registration.

(viii) If the nominee is a minor, the holder of Bonds may appoint any person to receive the Bonds/ amount due in the event of his / her / their death during the period the nominee is a minor.

12. Transferability:

The Bonds held to the credit of Bonds Ledger Account of an investor shall not be transferable.

13. Interest:

(i) The Bonds will be issued in 'Cumulative' or 'Non-cumulative' form, at the option of investor and will bear interest at the rate of 7.75% per annum.

(ii) Interest on non-cumulative Bonds will be payable at half-yearly intervals from the date of issue in terms of paragraph 7 above and interest on cumulative Bonds will be compounded with half-yearly rests and will be payable on maturity along with the principal.

(iii) In the latter case, the maturity value of the Bonds shall be ₹ 1,703.00 (being principal and interest) for every ₹ 1,000/-(Nominal).

(iv) Interest to the holders opting for non-cumulative Bonds will be paid from date of issue in terms of paragraph 7 above up to 31st July / 31st January as the case may be, and thereafter half-yearly for period ending 31st July and 31st January on 1st August and 1st February.

(v) Interest on Bonds held to the credit of Bonds Ledger Account of an investor will be paid, electronically by credit to bank account of the holder as per the option exercised by the investor/ holder.

14. Tax Deduction at Source

(i) Tax will be deducted at source while making payment of interest on the Non-Cumulative Bonds from time to time and credited to Government Account.

(ii) Tax on the interest portion of the maturity value will be deducted at source at the time of payment of the maturity proceeds on the Cumulative Bonds and credited to Government Account.

Provided that tax will not be deducted while making payment of interest/ maturity proceeds, as the case may be, to individual/s who have made a declaration in the application form that they have obtained exemption from tax under the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 and have submitted a true copy of the certificate obtained from Income Tax Authorities.

15. Advances/ Tradability against Bonds

The Bonds shall not be tradable in the secondary market and shall not be eligible as collateral for availing loans from banks, financial Institutions and Non-Banking Financial Companies.

16. Repayment

(i) The Bonds shall be repayable on the expiration of 7 years from the date of issue.

(ii) Premature encashment in respect of the Bonds shall be allowed for individual investors in the age group of 60 years and above, subject to submission of document relating to date of birth of the investor in support of age to the satisfaction of the issuing bank, after minimum lock in period from the date of issue as indicated below:

(a) Lock in period for investors in the age bracket of 60 to 70 years shall be 6 years from the date of issue.

(b) Lock in period for investors in the age bracket of 70 to 80 years shall be 5 years from the date of issue.

(c) Lock in period for investors in the age of 80 years and above shall be 4 years from the date of issue.

(iii) In case of joint holders or more than two holders of the Bond, the above lock in period will be applicable even if any one of the holders fulfills the above conditions of eligibility.

(iv) After aforesaid minimum lock in period from the date of issue an eligible investor can surrender the bonds at any time after the 12th, 10th and 8th half year corresponding to the respective lock in period but redemption payment will be made on the following interest payment due date. Thus, the effective date of premature encashment for eligible investors will be 1st August and 1st February every year. However, 50% of interest due and payable for the last six months of the holding period will be recovered in such cases, both in respect of Cumulative and Non-cumulative bonds.

17. Brokerage:

Brokerage at the rate of ₹ 1.00 per ₹ 100 will be paid to the brokers registered with the Receiving Offices, as listed in paragraph 10 above, on the applications tendered by them and bearing their stamp, on behalf of their clients.

By Order of the President of India,

[F. No.F.4(28)-B(W&M)/2017]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy. (Budget)

Annexure 1
Form TBX

Government of India
Certificate of Holding (Non-Cumulative)

7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018
Bond Ledger Account No.
[See Para 8]

We hereby certify that Shri/Smt.--- is / are the holder of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 held in the Bond Ledger Account No.------------- with-------------------------- ---------------------- (Name of the Bank branch) as per details given below. These bonds will bear interest @ 7.75% per annum payable half-yearly.

This is issued subject to the terms and conditions laid down in the Gazette Notification dated 3rd January, 2018.

Name of the Receiving Office
Branch Code No.
Official Seal.

1. (Name----------------------) Designation

2. (Name----------------------) Designation

Nomination Registered
at Sr.No.

Signature of the Head of
the Receiving Office/ the officer next to him.

Note: This certificate is non-negotiable.

Details of Bonds held in the Bond Ledger Account

Sr.No.	Investment		Transfer		Due Date of repay-ment *	Repayment		Balance	Initials under bank's seal
	Date	Amount	Date	Amount		Date	Amount		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* Due date of repayment to be indicated in the case of transfer.

ANNEXURE 1
Form TBY

Government of India
Certificate of Holding (Cumulative)

7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018
Bond Ledger Account No.___
[See Para 8]

We hereby certify that Shri/Smt.--- is /are the holder of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 held in the Bond Ledger Account No.------------- with-- (Name of the Bank branch) as per details given below.

This is issued subject to the terms and conditions laid down in the Gazette Notification dated 3rd January, 2018.

The maturity value of the Bonds shall be ₹ 1,703/-. (being principal and interest) for every ₹ 1,000/- (Nominal).

Name of the Receiving Office
Branch Code No.
Official Seal.

1. (Name-----------------------)
Designation

2. (Name-----------------------)
Designation

Nomination Registered
at Sr.No.

Signature of the Head of the
Receiving Office/ officer next to him

Note: This certificate is non-negotiable.

Details of Bonds held in the Bond Ledger Account

Investment		Transfer		Due date of repayment *	Repayment		Balance		Initials under bank's seal
Date	Amount (Nominal)	Date	Amount (Nominal)		Date	Amount (Nominal)	Nominal	Maturity Value	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* Due date of repayment to be indicated in the case of transfer.

ANNEXURE - 2

(FORM A)
[See Para 9]

APPLICATION FORM FOR 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018
(Please read the instructions carefully before filling up the form)
(Please write in block letters and tick ( ) the appropriate box)

I/WE TENDER THE SUM____________________

BEING THE SUBSCRIPTION TO 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 AMOUNT OF SUBSCRIPTION Rs.______

(Rupees ____________________________________) PAID

BY [ ] CASH [ ] CHEQUE [ ] D.D. [ ] ELECTRONIC MODE

No._________ DATED ___________

DRAWN ON _________________________
(BANK/BRANCH)

I/WE APPLY AS [ ] INDIVIDUAL [ ] ON BEHALF OF MINOR [ ]
* KARTA OF HUF [ ]

RELATIONSHIP WITH MINOR [ ] FATHER [ ] MOTHER [ ] LEGAL GUARDIAN

MODE OF HOLDING:

[ ] SINGLE

[ ] JOINT

[ ] ANYONE OR SURVIVOR

STATUS [ ] RESIDENT

[ ] MINOR

* Declaration form to be filled in and submitted, if applicable.

BROKERS NAME :
CODE NO. :
ADDRESS :

FOR OFFICE USE ONLY

BROKERAGE PAID Rs.

APPLICATION NO. [| |] [| | | | |]

DATED [| | | | |]

DATE OF DEBIT OF DRAWEE BANK [| | | | |]

DATE OF TRANSFER TO LINK CELL [| | | | |]

DATE OF CREDIT TO SPL. CURRENT A/C [| | | | |]

DATE OF CREDIT TO GOVT. ACCOUNT [| | | | |]

BOND LEDGER. A/C. No [| | | | | |] [| | | | |]

.

BRANCH MANAGER

RUBBER STAMP OF RECEIVING OFFICE WITH FULL ADDRESS

I / WE REQUEST THAT THE BONDS MAY BE ISSUED TO ME / US AS INDICATED BELOW:
[ ] BOND LEDGER ACCOUNT MAY BE OPENED IN MY/OUR NAME
[ ] MAY BE CREDITED TO MY/OUR BOND LEDGER ACCOUNT NO. ……….
I / WE WISH TO DRAW INTEREST ON MATURITY/CUMULATIVE [ ] @
HALF YEARLY – NON CUMULATIVE [ ] @
In case of credit of interest to bank Account
NAME OF THE BANK BRANCH _____________

SAVINGS/CURRENT ACCOUNT NO._________

(Fill in the boxes using block letters leaving one box blank after each word)

FULL NAME OF THE FIRST APPLICANT / HUF/ MINOR SEX: M. [ ] F. [ ]

FULL NAME OF FATHER/MOTHER/LEGAL GUARDIAN (IN CASE OF MINOR) / KARTA OF HUF / POWER OF ATTORNEY HOLDER

DATE OF BIRTH (IN CASE OF MINOR)

D D M M Y Y

(IN CASE OF MINOR)

Registration No. in case of Power of Attorney/ HUF already registered with Reserve Bank of India

ADDRESS (DO NOT REPEAT NAME) OF THE 1ST APPLICANT

STATE PIN

FULL NAME AND ADDRESS OF 2ND APPLICANT

FULL NAME AND ADDRESS OF 3RD APPLICANT

PERMANENT ACCOUNT NUMBER

FIRST APPLICANT
SECOND APPLICANT
THIRD APPLICANT

…………………………………………………………………

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 1ST APPLICANT

+ SIGNATURE
NAME AND ADDRESS OF WITNESS

1)………………………………………

…………………………………………………………

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 2ND APPLICANT

2) ……………………………………..

…………………………………………………………

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 3RD APPLICANT

NOTE: @ Interest on Bonds in the form of Bond Ledger Account may be paid by credit to the bank account to the holder or by cheque/warrant.

\+ In case of thumb impression

H.U.F. DECLARATION FORM

[Refer to Annexure 2 - **Form A** (See para 9)]

(ONLY IF APPLICANT IS KARTA OF HUF)

I, SEX: M. [ ] F. [ ]

RESIDING AT THE ADDRESS GIVEN AGAINST THE FIRST APPLICANT, DO SOLEMNLY AFFIRM

THAT I AM THE KARTA OF THE HINDU UNDIVIDED FAMILY STYLED

(NAME OF THE HUF AND ADDRESS)

AND AS SUCH HAVE FULL POWERS TO INVEST, TRANSFER OR OTHERWISE DEAL IN 7.75% SAVINGS (TAXABLE) BONDS, 2018 STANDING IN THE NAME OF THE SAID HUF.

SPECIMEN SIGNATURE FOR AND ON BEHALF
OF THE HUF (NAME OF THE HUF)

PLACE:
DATE: SIGNATURE OF THE KARTA

INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR 7.75% SAVINGS (TAXABLE) BONDS, 2018

1) There is no maximum limit for investment in the Bonds.

2) Cheque/ draft towards subscription should be drawn in favour of the bank/Receiving Office, receiving the application and payable at the place where the application is tendered.

3) If the application is made on behalf of a minor by the legal guardian, a guardianship certificate granted by a competent court under the provisions of Guardians and Wards Act (Act of 1890) should be produced.

4) In case of minor applicant, a birth certificate issued by the Municipal or other competent authority, church, Registrar of Birth/s or a Magistrate, Head of a Gram Panchayat or Head Master of a School - disclosing the name and the date of birth of the minor should be produced in original (along with one xerox copy) for verification.

5) The application shall bear the signature/thumb impression of the applicant/s. The thumb mark should be witnessed by 2 respectable persons.

6) If the application is signed by a person other than the investor, a Power of Attorney (P.A.O.) authorising the signatory should be submitted along with the application. The P.O.A. should contain express provision to receive interest and the principal amount due under the Bonds and/or to negotiate or transfer the

Bonds. The P.O.A. should also be unconditional. In case the P.O.A. is executed abroad, it should be attested by a Notary Public of the place where it is executed and notarised afresh in India (duly stamped).

7) The Karta of HUF making an application for Taxable Bonds should submit a declaration in the form annexed hereto.

8) The nomination may be made by a sole holder or all joint holders (other than a minor) in case of bonds in the form of Bond Ledger Account in Form 'B' or as near thereto as may be. A nomination made may be varied or cancelled by notifying branch of authorised Receiving Office in Form 'B' or 'C' as the case may be. Every nomination made or variation thereof shall be registered at branch of authorised Receiving Office and shall be effective from the date of registration.

9) In case of applications made in the joint names of more than 2 persons, the bond/s interest warrants and Payment Order/s will be issued in the name of the first applicant.

10) The bond will be issued to the credit of Bond Ledger Account on the date of receipt of subscription in cash or the date of realisation of draft or cheque.

11) Tax treatment available under 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 are as under:

i) Wealth tax - The bonds will be exempt from Wealth Tax under the Wealth Tax Act 1957.

ii) Income Tax - Tax will be deducted at source while making payment of interest on the non-cumulative bonds and credited to Government Account. Tax on the interest portion of maturity value will be deducted at source at the time of payment of the maturity proceeds on the cumulative bonds and credited to Government Account.

12) The bond is repayable after a period of **seven years** from the date of issue.

13) Applications for Bonds will be received at branches of State Bank of India and Nationalized Banks, three private sector banks and SHCIL specified in the Annexure 3 of this Notification.

14) Brokerage at the rate of ₹ 1.00 (Rupee one only) per ₹ 100/- will be paid to the brokers registered with Receiving Offices listed in Para 10 (a) & (b) as also to authorised banks on the applications tendered by them on behalf of their clients and bearing their stamp.

15) The Bonds shall not be tradable in secondary market and not eligible as collateral for loan from banks, financial institutions and NBFC, etc.

Annexure 3

List of Receiving Offices handling 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018

Name of the Receiving Offices	
S. No.	Name of Bank
1.	State Bank of India
2.	Allahabad Bank
3.	Bank of Baroda
4.	Bank of India
5.	Bank of Maharashtra
6.	Canara Bank
7.	Central Bank of India

8.	Dena Bank
9.	Indian Bank
10.	Indian Overseas Bank
11.	Punjab National Bank
12.	Syndicate Bank
13.	UCO Bank
14.	Union Bank of India
15.	United Bank of India
16.	Corporation Bank
17.	Oriental Bank of Commerce
18.	Vijaya Bank
19.	IDBI Bank Ltd.
20.	ICICI Bank Ltd.
21.	HDFC Bank Ltd.
22.	Axis Bank Ltd.
23.	Stock Holding Corporation of India Ltd.

ANNEXURE - 4
(FORM – B)
[See Para 11(i)]

7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018
FORM OF NOMINATION

I,/We

(NAME/S AND ADDRESS/ES)

THE HOLDER OF BOND LEDGER ACCOUNTS NO: @

NOMINATE THE FOLLOWING PERSON/S WHO SHALL ON MY/ OUR DEATH HAVE THE RIGHT TO THE BOND / RECEIVE PAYMENT OF THE AMOUNT FOR THE TIME BEING DUE ON THE BOND SPECIFIED BELOW:

			PARTICULARS OF NOMINEE/S			
DATE OF ISSUE	AMOUNT ₹	DATE OF REPAYMENT	FULL NAME WITH EXPANDED INITIALS AND ADDRESS OF NOMINEE	DATE OF BIRTH	RELATION-SHIP TO HOLDER	PARTICULARS OF BANK ACCOUNT

$ AS …………THE SOLE NOMINEE ABOVE IS A MINOR ON THIS DATE, I/ WE APPOINT SHRI / SMT. / KUM. ……………………………………………………….…… TO RECEIVE THE AMOUNT FOR THE TIME BEING DUE ON THE ABOVE BOND IN THE EVENT OF MY DEATH DURING THE MINORITY OF THE SAID NOMINEE

$$ ………….

+ THE NOMINATION IS IN SUBSTITUTION OF THE NOMINATION DATED………………….. MADE BY ME/US AND REGISTERED ON YOUR BOOKS AT …………… WHICH SHALL STAND CANCELLED ON REGISTRATION OF THIS NOMINATION.

@ TO BE FILLED IN BY THE BANK OPENING THE ACCOUNT

____

(SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF HOLDER/S)

PLACE:
DATE:

SIGNATURE WITH NAME AND ADDRESS OF WITNESS:

1. ____

2. ____

PLACE

DATE

$ TO BE FILLED IN, IF NOMINEE IS A MINOR
$$ NAME OF NOMINEE (MINOR)
+ THE PARA MAY BE DELETED, IF THE NOMINATION IS NOT IN SUBSTITUTION OF THE ONE ALREADY MADE.

ANNEXURE - 5
(FORM – C)
[See Para 11(vi)]

7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018
NOTICE OF CANCELLATION OF NOMINATION

I /We ____ (Name/s and address/es) do hereby cancel the nomination dated _______________________ made by me/us in respect of the following bonds held in Bond Ledger Account and registered by the branch of the authorised bank/receiving office on __________________ (date).

Particulars of the 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018

Date of Issue	Investment / Bond Ledger Account No.	Amount in ₹	Nomination in favour of

Place

Date

Signature/Thumb impression of the holder/s

Signatures and addresses of the witnesses:

1) ____

____

2)

____

____

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.04 16:25:33 +05'30'